भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 479

25 जून, 2019 के लिए प्रश्न

राजसहायता योजनाओं की समीक्षा

479. डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य सुरक्षा अधिनियम और खाद्य राजसहायता योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजनाओं में प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजनाओं में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका की भी समीक्षा की जानी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री राम विलास पासवान)

(क) से (घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम , 2013 देश के सभी 36 राज्यों/संघ राज्या क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्यान्वि1तकिया गया है। यह अधिनियम केंद्र और राज्योंस/संघ राज्यर क्षेत्रोंकी संयुक्त जिम्मेदारी के तहत प्रचालित किया जा रहा है। इस अधिनियम में 81.35 करोड़ के आशयित कवरेज के साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% तक ग्रामीण आबादी तक और 50% तक शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है; इस प्रकार कुल जनसंख्या में से लगभग दो-तिहाई जनसंख्या को कवर किया गया है। इस अधिनियम के तहत कवरेज पर्याप्ततः अधिक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिले। राष्ट्री□य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए लाभार्थियों को खाद्यान्न अर्थात मोटा अनाज/गेहूं/चावल क्रमशः 1/2/3 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर प्राप्त करने की पात्रता है। इस अधिनियम अथवा खाद्य सब्सिडी स्की मों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****